अनुदान संख्या 47 - स्वास्थ्य विभाग
GRANT No. 47–DEPARTMENT OF HEALTH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	3847,44,00		3847,49,00	3508,81,78	–338,67,22
पूरक	Supplementary	5,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					166,30,26
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	406,40,00		431,40,00	334,82,84	–96,57,16
पूरक	Supplementary	25,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					49,69,97

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक-सेवाएं	Major Head "2251" Sercretariat - Social Services		1930.00	1708.64	–221.36
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	316804.00	333672.10	321475.42	–12196.68
पू.	S.	5.00			
पु.	R.	16863.10			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	29080.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–29080.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	32578.00	28218.64	23708.85	–4509.79
पु.	R.	–4359.36			
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments		3980.00	3717.69	–262.31

(I) 32745.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 32530.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय - केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल" - 300.00 लाख रु. नई पहल शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 29080.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - 3150.00 लाख रु. राज्य सरकारों द्वारा पण्यों की कम आवश्यकता होने, राज्यों को पण्य सहायता के लिए सामानों की अधिप्राप्ति के लिए एनपीएसए/इसरो को जारी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन न किए जाने और इसरो द्वारा एजुसेट की स्थापना संबंधी उपस्करों की आपूर्ति के लंबित रहने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.32745.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.32530.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" – "Public Health – Other Expenditure - New Initiatives under Central Schemes" – Rs.300.00 lakhs - due to non-taking up of New Initiatives.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the Development of North Eastern Region including Sikkim" – Rs.29080.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases – Integrated Disease Surveillance Programme" - Rs.3150.00 lakhs – due to less requirement of commodities by the State Governments, non-adjustment of advances released to NPSA/ISRO for procurement of goods towards Commodity Assistance to States and pending supply of installation of EDUSAT equipments by ISRO.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य विभाग" के अंतर्गत 221.25 लाख रु. की बचत (1915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत पर कम व्यय होने और संसदीय समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठकें स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health" – saving of Rs.221.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1915.00 lakhs) was due to non-recruitment of new staff, less expenditure on leave travel concession and postponement of Parliamentary Committee and Consultative Committee meetings.

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(A) "Urban Health Services – Allopathy" –

(क) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" - 895.18 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से निविदा जारी करके मंगाई जाने वाली चिकित्सा पत्र-पत्रिकाओं की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – National Medical Library" – saving of Rs.895.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to delay in procurement of Medical Journals through tendering owing to administrative reasons.

(ख) "अस्पताल और औषधालय" -

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - 392.25 लाख रु. की बचत (12779.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of Rs.392.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12779.00 lakhs); and

(ii) "केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची" 236.62 लाख रु. की बचत (2076.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi"– saving of Rs.236.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2076.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न उपस्करों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals relating to purchase of various equipments.

(iii) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" - 296.22 लाख रु. की बचत (8479.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल के लिए मशनरी/उपस्करों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – saving of Rs.296.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8479.00 lakhs) was due to delay in receipt of the machinery/equipments for hospital.

(iv) "भुज अस्पताल, गुजरात के लिए अनुदान" - 800.00 लाख रु.की बचत (1000.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी.के.भुज अस्पताल में कम व्यय होने के कारण हुई।

(iv) "Grant for Bhuj Hospital, Gujarat" – saving of Rs.800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to less expenditure in G.K. Bhuj Hospital.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" –

(क) ''लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के.अस्पताल, नई दिल्ली'' - 585.80 लाख रु. की बचत (6915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की आपूर्तियां प्राप्त न होने और संस्थान के व्यापक विकास कार्यकलापों के शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी'' - 2713.30 लाख रु. की बचत (8137.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों के लिए मशीनरी/उपस्करों की कम खरीद किए जाने और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के देर से पूरे होने की वजह से अति विशिष्ट और अभिघात केंद्रों की स्थापना में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) ''डा. एस.पी.मुखर्जी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली'' - 631.00 लाख रु. की बचत (1181.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के स्थापना संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन'' - 24748.00 लाख रु. की बचत (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना'' - 209.57 लाख रु. की बचत (960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों की वजह से कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर''- 100.78 लाख रु. की बचत (466.00

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi" – saving of Rs.585.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6915.00 lakhs) was due to non-receipt of supplies of equipments and non-taking up of Comprehensive Development Activities of the Institute.

(b) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry" – saving of Rs.2713.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8137.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less purchase of machinery/equipments for hospitals/dispensaries/institutes and delay in establishment of Super Specialty and Trauma Centres owing to late completion of procedural formalities.

(c) "Dr. S.P. Mukherjee P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" – saving of Rs.631.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1181.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for setting up of the Institute.

(d) "Establishment of AIIMS type Super-Specialty Hospitals-cum Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" – saving of Rs.24748.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(C) "Public Health" -

(a) "Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Organisation"- saving of Rs.209.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.960.00 lakhs) was due to less expenditure owing to economy measures.

(b) "Training – National T.B. Training Institute, Bangalore" – saving of Rs.100.78

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति के लिए कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.466.00 lakhs) was due to receipt of less applications for scholarship.

(ग) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 592.49 लाख रु. की बचत (9805.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रें की कमी की वजह से डीएमसीएस को रोकड़ अनुदान जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगा होने और राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के स्थापना व्ययों में बचतें होने के कारण हुई।

(ii) ''आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों कोनियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम'' - 113.61 लाख रु. की बचत (996.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय विवरण प्रस्तुत न किए जाने और रिक्त पदों को भरे न जाने की वजह से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1236.36 लाख रु. की बचत (2545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहु-औषधि कुष्ठ रोग समितियों और अन्य अभिकरणों के पास उपलब्ध अव्ययित शेषों के समायोजन के कारण हुई।

(घ) ''औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन''- 103.21 लाख रु. की बचत (1729.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के पास नशीली दवाइयों की लत छुड़ाने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध अव्ययित शेषों का समायोजन किए जाने और रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(ङ) ''सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर को अनुदान'' - 601.66 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों के पास के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने, उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने तथा ऊतक संवर्धन एवं अलर्करोग-रोधी वैक्सीन का निर्माण न किए जाने के कारण हुई।

(c) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Vector Borne Diseases Control Programme" – saving of Rs.592.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9805.00 lakhs) was due to restriction on release of cash grants to DMCS for want of utilisation certificates and savings in establishment expenses of NVBDCP.

(ii) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" – saving of Rs.113.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.996.00 lakhs) was due to non-release of funds to the Directorate of Field Publicity owing to non-furnishing of expenditure statements and non filling up of vacant posts.

(iii) "National Leprosy Control Programme" – saving of Rs.1236.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2545.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balances lying with the Multi Drug Leprosy Societies and other agencies.

(d) "Drug Control – Central Drugs Standards Control Organisation" – saving of Rs.103.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1729.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balances lying with PGIMER, Chandigarh under Drug De-addiction Programme and non-filling up of vacant posts.

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine – Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" – saving of Rs.601.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the institute, non-receipt of utilisation certificates and non-construction of tissue culture and anti-rabies vaccine block.

(च) ''लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं'' -

(i) ''केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - 246.40 लाख रु. की बचत (1846.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन के रख-रखाव पर आयोजना की तुलना में कम व्यय होने और विभिन्न उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान'' - 275.00 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नव निर्मित प्रयोगशाला और पशु गृह तथा अन्य विविध पूंजीगत निर्माण कार्य/अधिप्राप्ति के प्रारंभिक चरणों और लोकल एरिया नेटवर्क और कंप्यूटरों की स्थापना पर व्यय किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(छ) ''लोक स्वास्थ्य प्रचार - केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली'' - 176.61 लाख रु. की बचत (307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापनों और प्रकाशनों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ज) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम'' - 924.47 लाख रु. की बचत (4850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत किए जाने और संबंधित विभागों के साथ समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में विलंब होने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) ''खाद्य और औषध संबंधी क्षमता निर्माण परियोजना - बाह्य सहायताप्राप्त संघटक'' - 2892.80 लाख रु. की बचत (8550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना पदों का सृजन न किए जाने और मुख्य जनसंचार अभिकरणों द्वारा कार्यकलाप देर से शुरू किए जाने के कारण हुई।

(f) "Public Health Laboratories" –

(i) "Central Research Institute, Kasauli" – saving of Rs.246.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1846.00 lakhs) was due to less expenditure on maintenance of building than planned and non-finalisation of proposals relating to purchase of various equipments.

(ii) "National Institute of Biological Standardisation and Quality Control" – saving of Rs.275.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to delay in incurring expenditure on newly constructed Laboratory and Animal house and other misc. capital work/initial stages of procurement and installation of Local Area Network and Computers.

(g) "Public Health Publicity – Central Health Education Bureau, New Delhi" – saving of Rs.176.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.307.00 lakhs) was due to less advertisements and curtailment of publications.

(h) "Other Expenditure" -

(i) "Integrated Disease Surveillance Programme" – saving of Rs.924.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4850.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure by the State Governments owing to delay in submission of Project Implementation Plan and execution of Memorandum of Understanding with respective departments.

(ii) "Capacity Building Project for Food and Drug – Externally Aided Component" – saving of Rs.2892.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8550.00 lakhs) was due to non-creation of plan posts and late start of activity by Main Media Agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों से बचाव और उन पर नियंत्रण'' के अंतर्गत -

(का) ''राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 1615.57 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने की वजह से स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थाओं को सीधे अनुदान को जारी किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)''- 835.01 लाख रु. की बचत (1160.28 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को कम पण्य अनुदान प्रदान किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा अधिप्राप्ति और आपूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''काला-अजार नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1400.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीडीटी की अधिप्राप्ति और आपूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)'' - 200.04 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)''- 107.50 लाख रु. की बचत (510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महालेखाकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने और राज्य सरकारें के पास पर्याप्त अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(चा) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी)'' - 5218.02 लाख रु. की बचत (10018.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा पण्य की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता - राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' के अंतर्गत 180.04 लाख रु. की बचत (780.00

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(A) "National Trachoma and Blindness Control Programme (General Component)" – saving of Rs.1615.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to release of grants directly to voluntary organisations and other institutions owing to change in funding pattern.

(B) "National Vector Borne Diseases Control Prgoramme (Urban)" – saving of Rs.835.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1160.28 lakhs) was due to lesser commodity grants to States and delay in procurement and supply by the State Governments.

(C) "Kala-Azar Control Programme" – saving of Rs.1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to delay in procurement and supply of DDT.

(D) "National Leprosy Control Programme (Externally Aided Component)" – saving of Rs.200.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments/ Union Territories.

(E) "National Leprosy Control Programme (General Component)" – saving of Rs.107.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.510.00 lakhs) was due to non-submission of Accountant General Audit Report/Utilisation Certificates and sufficient unspent balances with the State Governments.

(F) "National Vector Borne Diseases Control Programme (Rural) (E.A.C.)" – saving of Rs.5218.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10018.00 lakhs) was due to less requirement of commodity by the State Governments.

(V) Under Major Head "3606" - "Assistance from World Health Organisation – Material Assistance for National Leprosy Control

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुष्ठ रोगियों की संख्या में कमी आने की वजह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पण्यों की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

Programme" – saving of Rs.180.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.780.00 lakhs) was due to less demand of commodities from States/ Union Territories owing to declining number of leprosy patients.

(VI) छह शीर्षों के अंतर्गत 408.89 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under six heads savings of Rs.408.89 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 82 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (34995.61 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005, दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में 5.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मागों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. (I) The above savings were partly (Rs.34995.61 lakhs) utilised for augmenting the provision by the re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.5.00 lakhs in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2210" - under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" 10163.19 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9768.41 लाख रु. था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(क) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" - 7900.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7899.00 लाख रु. था।

(ख) "वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान" - 450.00 लाख रु.।

(ग) "कैंसर अनुसंधान - 1560.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 217.62 लाख रु. था।

(घ) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" - 6710.00 लाख रु.।

(ङ) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - 277.00 लाख रु.।

(A) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - Rs.10163.19 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9768.41 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -

(a) "Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi" – Rs.7900.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7899.00 lakhs.

(b) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi" – Rs.450.00 lakhs.

(c) "Cancer Research" – Rs.1560.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.217.62 lakhs.

(d) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" – Rs.6710.00 lakhs.

(e) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore" – Rs.277.00 lakhs.

(च) ''स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान'' - 3000.00 लाख रु.।

(छ) ''वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली'' - 349.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 346.64 लाख रु. था।

(गा) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान'' - 914.03 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 900.13 लाख रु. था।

(ii) ''रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2440.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2346.43 लाख रु. था।

(ख) ''लोक स्वास्थ्य शिक्षा - बाल परिचर्या प्रशिक्षण केंद्र, सिंगुर'' - 57.34 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 57.55 लाख रु. था।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय रोग सहायता निधि की स्थापना'' - 154.00 लाख रु.।

(ii) ''लाला राम स्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान''- 178.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 177.00 लाख रु. था।

(iii) ''हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति'' - 842.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 840.10 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी- पूर्वोत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा

(f) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" – Rs.3000.00 lakhs.

(g) "Vardhman Mahavir Medical College, New Delhi" – Rs.349.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.346.64 lakhs.

(C) "Public Health" –

(a) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases" - Rs.914.03 lakhs. Actual excess, however, was Rs.900.13 lakhs.

(ii) "Trachoma and Blindness Control Programme" – Rs.2440.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2346.43 lakhs.

(b) "Public Health Education - Child Care Training Centre, Singur" - Rs.57.34 lakhs. Actual excess, however, was Rs.57.55 lakhs.

(c) "Other Expenditure" -

(i) "Setting up of a National Illness Assistance Fund" – Rs.154.00 lakhs.

(ii) "Grants to Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" – Rs.178.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.177.00 lakhs.

(iii) "Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" – Rs.842.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.840.10 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210"-

(a) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Grants to North

विज्ञान संस्थान, शिलांग'' - 3000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(1) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1042.16 लाख रु. का अधिक व्यय (14020.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' - 5503.48 लाख रु. का अधिक व्यय (47650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(3) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम'' - 1017.41 लाख रु. का अधिक व्यय (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''अन्य व्यय - क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' - 386.82 लाख रु. का अधिक व्यय (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' के अंतर्गत -

(क) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)'' - 2527.14 लाख रु. का अधिक व्यय (6849.72 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)'' - 1131.05 लाख रु. का अधिक व्यय (2479.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong"- excess of Rs.3000.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(b) "Public Health" -

(i) "Prevention and Control of Diseases" -

(1) "National T.B. Control Programme" – excess of Rs.1042.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14020.00 lakhs);

(2) "National AIDS Control Programme" – excess of Rs.5503.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.47650.00 lakhs);

(3) "National Mental Health Programme" – excess of Rs.1017.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs);

(ii) "Other Expenditure - Assistance for Capacity Building" – excess of Rs.386.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs);

(B) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases" -

(a) "National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)"– excess of Rs.2527.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6849.72 lakhs); and

(b) "National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)" – excess of Rs.1131.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2479.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.79 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.87.79 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (9657.16 लाख रु.) अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए 2500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.9657.16 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2500.00 lakhs obtained in August, 2005 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	40640.00	38170.03	33482.84	–4687.19
पू.	S.	2500.00			
पु.	R.	–4969.97			

(I) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(I) Savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" -

(A) "Urban Health Services"-

(क) "चिकित्सा भंडार डिपो - डिपो" - 456.47 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमान प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Medical Store Depots – Depots" – saving of Rs.456.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to economy measures and non-receipt of estimates from Central Public Works Department.

(ख) ''अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद'' - 134.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फैक्टरियां बंद होने और निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Purchase of Materials in India and Abroad" – saving of Rs.134.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to closure of factories and non-utilisation of funds.

(खा) ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(B) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" -

(क) ''दृष्टिदोष की रोकथाम एवं अंधता नियंत्रण और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 1136.53 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन पद्धति में परिवर्तन होने की वजह से सामग्रियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Bulk Purchase of Material and Equipment for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness and Trachoma Control Programme" – saving of Rs.1136.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to non-procurement of materials owing to change in funding pattern.

(ख) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 6268.67 लाख रु. की बचत (24270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा पण्य की कम आवश्यकता होने और पण्यों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति में विलंब होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Vector Borne Disease Control Programme" – saving of Rs.6268.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24270.00 lakhs) was due to less requirement of commodity by the State Governments and non-release of funds on account of delay in procurement and supply of commodities.

(ग) ''एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 1537.36 लाख रु. की बचत (3450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक से तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, साफ्टवेयर अभिकरणों को अंतिम रूप न दिए जाने और उसके परिणामस्वरूप सिस्टम साफ्टवेयर, वेबसाइट औजारों, आरडीबीएमएस अनुप्रयोगों आदि की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(c) "Bulk purchase of Material and Equipment for Integrated Disease Surveillance Programme" – saving of Rs.1537.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3450.00 lakhs) was due to non-receipt of No Objection Certificate on Evaluation of Technical Proposals from World Bank, non-finalisation of Software Agencies resulting in delays in procurement of System Software, Website Tools, RDBMS applications etc.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 56.24 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.56.24 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.